

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजौर

8/11/2023

- प्रतिपि :-
1. तहसीलदार, राजौर को भुकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
 2. प्रार्थी श्री राजौर जिला अधिकाारी को संवर्ध।

क्रमांक: सटशता/5-11(213)/2023

दिनांक :-

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राजौर



क.सं.	मौजा	खाला संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश
1.	सोमी	381	मोहन	मोहनलाल
				आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)

आदेश दिये जाते हैं :-

प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा सोमी तहसील निरीक्षक वृत्त राजौर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राजौर की राजस्व अनुशांषा के आधार पर प्रार्थी के "खाला दुखती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का सोमी, भू अभिलेख राजौर व जिला विनोदगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2077 में खाला संख्या 381 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का

प्रसंग :- 213 / 2023

:- आदेश :-

प्रशासन शाखा के राज
अभिधान-2023

(पीठाधीन अधिकारी कंस कर्ट) कंस :- राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजौर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पटन सहायक कलेक्टर राजौर

राजस्थान सरकार

